MALUKA IAS

NCERT का सार

राजनीति, अर्थशास्त्र अंतरराष्ट्रीय संगठन

VI - XII CLASS

Lachman Singh Maluka

MALUKA IAS

कक्षा- IX

लोकतांत्रिक राजनीति- I

अध्याय 1

समकालीन दुनिया में लोकतंत्र

लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों को अपने शासकों को चुनने की अनुमति देता है।

लोकतंत्र में-

- **केवल लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए, और**
- **लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और विरोध करने की स्वतंत्रता है।**

लोकतंत्र के विस्तार के चरण

फ्रांसीसी क्रांति (1789)

- **फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में लोकतंत्र के लिए कई संघर्षों को प्रेरित किया**
- **अधिक से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया**

अमेरीकी क्रांति-

- ***उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया***
- **अगले कुछ वर्षों में ये उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका बनाने के लिए एक साथ आए।**
- **1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया।**
- **लोकतंत्र के लिए 19वीं सदी के संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के इर्द-गिर्द केंद्रित रहे।**
- **चुनौती- प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार; अक्सर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूरे देश में अश्वेत 1965 तक मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे।**
- **लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले चाहते थे कि यह अधिकार सभी वयस्कों को दिया जाए - पुरुष या महिला, अमीर या गरीब, गोरे या काले।**
- **इसे 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' या 'सार्वभौमिक मताधिकार' कहा जाता है।**

उपनिवेशवाद का अंत

- **बहुत लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के नियंत्रण में उपनिवेश थे।**
- **1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद इनमें से कई देश लोकतंत्र बन गए।**
- **भारत को आजादी मिली- 1947**
- **घाना एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था जिसका नाम गोल्ड कोस्ट था। (स्वतंत्र- 1957)**

हाल के चरण

- **1980- लैटिन अमेरिका के कई देशों में लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया गया।**
- **पोलैंड और कई अन्य देश 1989-90 के दौरान सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त हो गए।**
- **सोवियत संघ 1991 में ही टूट गया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे।**
- **पाकिस्तान और बांग्लादेश 1990 के दशक में सेना के शासन से लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ।**
- **2008 में, पाकिस्तान फिर से लोकतांत्रिक हो गया और नेपाल राजशाही को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा।**

म्यांमार की कहानी-

- **म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था।**
- **1948 में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली और लोकतंत्र बन गया।**
- **लेकिन लोकतांत्रिक शासन का अंत 1962 में सैन्य तख्तापलट के साथ हुआ।**
- **1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव हुए।**

- **आंग सान सू की (उच्चारण सू-ची) के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने चुनाव जीता।**
- **लेकिन म्यांमार के सैन्य नेताओं ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी।**
- **इसके बजाय, सेना ने सू की सहित लोकतंत्र समर्थक निर्वाचित नेताओं को नजरबंद कर दिया।**
- **सार्वजनिक रूप से विचारों को प्रसारित करने या शासन की आलोचना करने वाले बयान जारी करने वाले को बीस साल तक की जेल की सजा हो सकती है।**
- **म्यांमार में सेना शासित सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण उस देश में लगभग 6 से 10 लाख लोगों को उनके घरों से उजाड़ दिया गया है और उन्होंने कहीं और शरण ली है।**
- **नजरबंद होने के बावजूद सू की ने लोकतंत्र के लिए प्रचार करना जारी रखा।**
- **अंत में, उनके नेतृत्व में, एनएलडी ने ऐतिहासिक 2015 चुनाव लड़ा और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई।**

संयुक्त राष्ट्र (यूएन)

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में सहयोग में मदद करने के लिए दुनिया के देशों का एक वैश्विक संघ है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र का अंग, देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
यह एक अंतरराष्ट्रीय सेना को एक साथ रख सकता है और गलत काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-

सरकारों को जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देता है
दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे बड़े साहूकारों में से एक।
इसके 189 सदस्य राज्यों (12 अप्रैल 2016 को) के पास समान मतदान अधिकार नहीं हैं।
प्रत्येक देश के वोट को इस बात से तौला जाता है कि उसने आईएमएफ को कितना पैसा दिया है।
IMF में 40% से अधिक मतदान शक्ति केवल सात देशों (अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा) के हाथों में है।
शेष 182 देशों का यह कहना बहुत कम है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे निर्णय लेते हैं।

विश्व बैंक-

सरकारों को कर्ज भी देता है।
उधार देने से पहले वे संबंधित सरकार से अपने सभी खाते दिखाने और अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करने का निर्देश देने के लिए कहते हैं।
विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिका के नागरिक रहे हैं, पारंपरिक रूप से अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी सचिव (वित्त मंत्री) द्वारा नामित।

अध्याय दो

लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों?

लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है।

यह हमें लोकतंत्र की तीसरी विशेषता देता है: लोकतंत्र में, प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए।

एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य-

- 2015 तक, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था।
- एस्तोनिया ने अपने नागरिकता नियम इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यकों के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना मुश्किल हो जाता है।
- फिजी में, चुनावी प्रणाली ऐसी है कि एक स्वदेशी फिजी के वोट का मूल्य भारतीय-फिजी के वोट से अधिक है।

लोकतंत्र के गुण

1) एक लोकतांत्रिक सरकार, सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है।
2) लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है।
3) लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।
4) गरीब और कम से कम शिक्षित को अमीर और शिक्षित के समान दर्जा प्राप्त है।
5) लोकतंत्र हमें अपनी गलती सुधारने की इजाजत देता है
6) एक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि शासकों को लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।
7) एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है

लोकतंत्र के खिलाफ तर्क

1) लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे अस्थिरता पैदा होती है।
2) लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता के खेल के बारे में है। नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं है।
3) लोकतंत्र में इतने लोगों से परामर्श करना पड़ता है कि इससे देरी होती है।
4) चुने हुए नेताओं को लोगों के सर्वोत्तम हित का पता नहीं होता है। यह बुरे फैसलों की ओर ले जाता है।
5) लोकतंत्र भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।
6) साधारण लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है; उन्हें कुछ भी तय नहीं करना चाहिए।

लोकतंत्र के लिए तर्क

- चीन का अकाल- 1958-1961- ~ 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए।
- उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से ज्यादा अच्छी नहीं थी।
- फिर भी भारत में उस तरह का अकाल नहीं पड़ा जैसा चीन में था।
- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह दोनों देशों में अलग-अलग सरकारी नीतियों का परिणाम था।
- भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व ने भारत सरकार को भोजन की कमी का इस तरह से जवाब दिया कि चीनी सरकार ने नहीं किया।
- वे बताते हैं कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़े पैमाने पर अकाल नहीं पड़ा है।
- अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव होते, एक विपक्षी दल और सरकार की आलोचना करने के लिए एक प्रेस स्वतंत्र होता, तो शायद इतने लोग अकाल में नहीं मरते।

कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान

- जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
- तब से देश पर ZANU-PF का शासन रहा है, वह पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे ने स्वतंत्रता के बाद से देश पर शासन किया।
- चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा ZANU-PF द्वारा जीते जाते थे। राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने चुनावों में अनुचित व्यवहार का भी इस्तेमाल किया।

- वर्षों में उनकी सरकार ने राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने और उन्हें कम जवाबदेह बनाने के लिए कई बार संविधान में बदलाव किया।
- विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और उनकी बैठक को बाधित किया गया।
- सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शनों को अवैध घोषित कर दिया गया।
- एक कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को सीमित करता था।
- टेलीविजन और रेडियो को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था और केवल सत्ताधारी पार्टी का संस्करण दिया जाता था।
- स्वतंत्र समाचार पत्र थे लेकिन सरकार ने उन पत्रकारों को परेशान किया जो इसके खिलाफ गए थे।
- सरकार ने कुछ अदालती फैसलों की अनदेखी की जो इसके खिलाफ गए और जजों पर दबाव डाला। उन्हें 2017 में जबरन पद से हटा दिया गया था।

<u>लोकतंत्र को किसी भी गैर-लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में बेहतर निर्णय क्यों लेना चाहिए?</u>

- लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है।
- एक लोकतांत्रिक निर्णय में हमेशा कई व्यक्ति, चर्चा और बैठकें शामिल होती हैं।
- जब कई लोग आपस में परामर्श करते हैं तो वे किसी भी निर्णय में संभावित गलतियों को इंगित करने में सक्षम होते हैं। इसमें समय लगता है।
- यह जल्दबाज़ी या गैर-ज़िम्मेदाराना फैसलों की संभावना को कम करता है।
- इस प्रकार लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है।
- किसी भी समाज में लोगों के विचारों और रुचियों में मतभेद होना लाजमी है।
- हमारे जैसे देश में ये अंतर विशेष रूप से तेज हैं, जिसमें एक अद्भुत सामाजिक विविधता है।
- लोग विभिन्न क्षेत्रों के हैं, विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और विभिन्न जातियाँ हैं।
- वे दुनिया को बहुत अलग तरह से देखते हैं और अलग-अलग प्राथमिकताएं रखते हैं।
- एक समूह की प्राथमिकताएँ दूसरे समूहों की प्राथमिकताओं से टकरा सकती हैं। संघर्ष को क्रूर शक्ति से हल किया जा सकता है।
- जो भी समूह अधिक शक्तिशाली होगा वह अपनी शर्तों को निर्धारित करेगा और दूसरों को इसे स्वीकार करना होगा।
- लेकिन इससे नाराजगी और नाखुशी पैदा होगी।
- हो सकता है कि अलग-अलग समूह इस तरह से एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकें।
- लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
- लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।
- अंत में, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है।
- यह एक अच्छे निर्णय के बेहतर अवसर प्रदान करता है; यह लोगों की अपनी इच्छाओं का सम्मान करने की संभावना है और विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने की अनुमति देता है।
- यहां तक कि जब यह इनमें से कुछ चीजों को करने में विफल रहता है, तो यह अपनी गलतियों को सुधारने का एक तरीका देता है और सभी नागरिकों को अधिक सम्मान प्रदान करता है।
- इसीलिए लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है।

अध्याय 3

संविधान निर्माण

दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान-

- यह नेल्सन मंडेला थे, जिन पर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था।
- उन्हें और सात अन्य नेताओं को 1964 में अपने देश में रंगभेद शासन का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

रंगभेद के खिलाफ संघर्ष

- रंगभेद दक्षिण अफ्रीका के लिए अद्वितीय नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली का नाम था।
- गोरे यूरोपियों ने यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका पर थोपी।
- 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने इस पर हथियारों और बल के साथ कब्जा कर लिया, जिस तरह से उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था।
- लेकिन भारत के विपरीत, बड़ी संख्या में 'गोरे' दक्षिण अफ्रीका में बस गए और स्थानीय शासक बन गए।
- रंगभेद की व्यवस्था ने लोगों को विभाजित किया और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर लेबल किया।
- दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी काले रंग के होते हैं।
- वे आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा बनाते थे और उन्हें 'अश्वेत' कहा जाता था।
- इन दो समूहों के अलावा, मिश्रित जाति के लोग थे जिन्हें 'रंगीन' कहा जाता था और जो लोग भारत से चले गए थे।
- गोरे शासकों ने सभी गैर-गोरों को हीन माना। गैर-गोरे लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं था।
- रंगभेद व्यवस्था अश्वेतों के लिए विशेष रूप से दमनकारी थी। उन्हें सफेद क्षेत्रों में रहने से मना किया गया था।
- वे सफेद क्षेत्रों में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट हो।
- गोरों और अश्वेतों के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय सभी अलग-अलग थे। इसे अलगाव कहा जाता था।
- वे उन गिरजाघरों में भी नहीं जा सकते थे जहाँ गोरे लोग पूजा करते थे।
- अश्वेत लोग संघ नहीं बना सकते थे या कठोर व्यवहार का विरोध नहीं कर सकते थे।
- 1950 से, अश्वेतों और भारतीयों ने रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- उन्होंने विरोध मार्च और हड़ताल शुरू की।
- अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) एक छत्र संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया।
- इसमें कई श्रमिक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थीं।
- रंगभेद का विरोध करने के लिए कई संवेदनशील गोरे भी एएनसी में शामिल हुए और इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई।
- कई देशों ने रंगभेद को अन्यायपूर्ण और नस्लवादी बताया।
- लेकिन गोरे जातिवादी सरकार ने हजारों काले और रंगीन लोगों को हिरासत में लेकर, यातनाएं देकर और उनकी हत्या करके शासन करना जारी रखा।

एक नए संविधान की ओर

- जैसे-जैसे रंगभेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बढ़े, सरकार ने महसूस किया कि वे अब दमन के माध्यम से अश्वेतों को अपने शासन में नहीं रख सकते।
- श्वेत शासन ने अपनी नीतियों को बदल दिया।
- भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त कर दिया गया।
- राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया गया।
- 28 साल की कैद के बाद, नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जेल से बाहर आए।
- अंत में, 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि में, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो दुनिया में नवजात लोकतंत्र का प्रतीक है।
- रंगभेदी सरकार का अंत हो गया, जिससे बहु-नस्लीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उद्भव के बाद, अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेतों से सत्ता में रहते हुए किए गए अत्याचारों के लिए गोरों को क्षमा करने की अपील की।
- जिस पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के माध्यम से शासन किया और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टी एक आम संविधान बनाने के लिए एक साथ बैठ गई।
- दो साल की चर्चा और बहस के बाद वे दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक के साथ सामने आए।
- इस संविधान ने अपने नागरिकों को किसी भी देश में उपलब्ध सबसे व्यापक अधिकार दिए।
- साथ में, उन्होंने फैसला किया कि समस्याओं के समाधान की तलाश में किसी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए; किसी को भी दानव नहीं समझना चाहिए।
- वे इस बात पर सहमत थे कि हर किसी को समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो या प्रतिनिधित्व किया हो।
- दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में इस भावना का सार है।
- दक्षिण अफ्रीका का संविधान पूरी दुनिया के लोकतंत्रवादियों को प्रेरित करता है।

<u>हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?</u>

- दक्षिण अफ्रीकी उदाहरण यह समझने का एक अच्छा तरीका है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान क्या करते हैं।
- इस नए लोकतंत्र में उत्पीड़क और उत्पीड़ित समान रूप से एक साथ रहने की योजना बना रहे थे।
- अश्वेत बहुमत यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक था कि बहुमत के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत से समझौता नहीं किया गया था।
- वे पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे।
- श्वेत अल्पसंख्यक अपने विशेषाधिकारों और संपत्ति की रक्षा के लिए उत्सुक थे।
- लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।
- गोरे बहुमत के नियम और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर सहमत हुए।
- वे गरीबों और श्रमिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों को स्वीकार करने पर भी सहमत हुए।
- अश्वेत सहमत थे कि बहुमत का शासन पूर्ण नहीं होगा।
- वे इस बात पर सहमत थे कि बहुसंख्यक गोरे अल्पसंख्यक की संपत्ति नहीं छीनेंगे।
- ऐसी स्थिति में विश्वास बनाने और बनाए रखने का एकमात्र तरीका खेल के कुछ नियमों को लिखना है जिनका पालन हर कोई करेगा।
- ये नियम निर्धारित करते हैं कि भविष्य में शासकों को कैसे चुना जाना है।
- ये नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि चुनी हुई सरकारों को क्या करने का अधिकार है और वे क्या नहीं कर सकती हैं।
- अंत में ये नियम नागरिक के अधिकारों का निर्धारण करते हैं।
- ये नियम तभी काम करेंगे जब विजेता इन्हें बहुत आसानी से नहीं बदल सकता।
- दक्षिण अफ्रीका ने यही किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए।
- वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सर्वोच्च होंगे, कि कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर पाएगी।
- बुनियादी नियमों के इस सेट को संविधान कहा जाता है।
- हर देश में लोगों के विविध समूह होते हैं।
- पूरी दुनिया में लोगों के विचारों और रुचियों में मतभेद हैं।
- लोकतांत्रिक हो या न हो, दुनिया के ज्यादातर देशों में इन बुनियादी नियमों की जरूरत है।
- यह सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होता है।
- किसी भी संघ का अपना संविधान होना चाहिए।
- ***<u>किसी देश का संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे एक देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है।</u>***
- संविधान सर्वोच्च कानून है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों (नागरिक कहा जाता है) के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है।

<u>एक संविधान कई काम करता है:</u>

1) सबसे पहले, यह विश्वास और समन्वय की एक स्तर उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के लोगों के एक साथ रहने के लिए आवश्यक है;
2) दूसरा, यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, किसके पास कौन से निर्णय लेने की शक्ति होगी;
3) तीसरा, यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं; तथा
4) चौथा, यह एक अच्छे समाज के निर्माण के बारे में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है
5) *सभी देश जिनके संविधान हैं, जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों।*
6) *लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनके संविधान होंगे.*
7) ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के बाद, अमेरिकियों ने खुद को एक संविधान दिया।
8) क्रांति के बाद, फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी।
9) तब से सभी लोकतंत्रों में लिखित संविधान रखने की प्रथा बन गई है।

भारतीय संविधान का निर्माण

- उस समय भारत के लोग प्रजा से नागरिकों की स्थिति में उभर रहे थे।
- देश का जन्म धार्मिक मतभेदों के आधार पर विभाजन के माध्यम से हुआ था।
- अंग्रेजों ने यह फैसला रियासतों के शासकों पर छोड़ दिया था कि वे भारत में विलय करना चाहते हैं या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
- इन रियासतों का विलय एक कठिन और अनिश्चित कार्य था।
- संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंता थी।

संविधान की राह

- हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष नहीं था।
- यह हमारे देश को फिर से जीवंत करने और हमारे समाज और राजनीति को बदलने का संघर्ष भी था।
- आजादी के बाद भारत को जिस रास्ते पर चलना चाहिए, उसके बारे में स्वतंत्रता संग्राम के भीतर तीव्र मतभेद थे।
- 1928 में, मोतीलाल नेहरू और आठ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया।
- 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव इस बात पर आधारित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए।
- ये दोनों दस्तावेज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और स्वतंत्र भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे।
- इस प्रकार संविधान पर विचार-विमर्श के लिए संविधान सभा की बैठक से बहुत पहले सभी नेताओं द्वारा कुछ बुनियादी मूल्यों को स्वीकार कर लिया गया था।
- ब्रिटिश शासन ने कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार दिया था।
- 1937 में पूरे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के लिए चुनाव हुए।
- ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थीं।
- लेकिन विधायी संस्थाओं के कामकाज में भारतीयों द्वारा प्राप्त अनुभव देश के लिए अपनी संस्थाओं की स्थापना और उनमें काम करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ।
- इसीलिए भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 जैसे औपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया।
- हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की प्रथा और अमेरिका में अधिकारों के विधेयक से प्रेरित थे।
- रूस में समाजवादी क्रांति ने कई भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था को आकार देने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया था।

संविधान सभा

- **संविधान नामक दस्तावेज का प्रारूपण निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया जाता था जिसे संविधान सभा कहा जाता है।**
- **जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए।**
- **पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी।**
- **इसके तुरंत बाद, देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया।**
- **संविधान सभा को भी भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में विभाजित किया गया था।**
- **भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे।**
- **विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।**
- ***इस दिन को चिह्नित करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।***
- **संविधान सभा ने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया।**
- **उस समय कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था।**
- **इसलिए संविधान सभा को सीधे भारत के सभी लोगों द्वारा नहीं चुना जा सकता था।**
- **यह मुख्य रूप से मौजूदा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा चुना गया था जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है।**
- **इसने देश के सभी क्षेत्रों के सदस्यों का उचित भौगोलिक हिस्सा सुनिश्चित किया।**
- **विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था, वह पार्टी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।**
- **लेकिन कांग्रेस ने खुद कई तरह के राजनीतिक समूहों और विचारों को शामिल किया।**
- **विधानसभा में कई सदस्य थे जो कांग्रेस से सहमत नहीं थे।**
- **सामाजिक दृष्टि से भी, सभा ने विभिन्न भाषा समूहों, जातियों, वर्गों, धर्मों और व्यवसायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया।**
- **मसौदा समिति- डॉ बीआर अम्बेडकर**
- **दो हजार से अधिक संशोधनों पर विचार किया गया।**
- **सदस्यों ने तीन वर्षों में 114 दिनों तक विचार-विमर्श किया।**

सपना और वादा

महात्मा गांधी।

वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर भी कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया।
वर्षों पहले, 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखते हुए, उन्होंने यह बताया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं

डॉ अम्बेडकर

असमानता को समाप्त करने वाले भारत के इस सपने को डॉ. अम्बेडकर ने साझा किया, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें इस बात की अलग समझ थी कि असमानताओं को कैसे हटाया जा सकता है।
उन्होंने अक्सर महात्मा गांधी और उनके दृष्टिकोण की कटु आलोचना की।

संविधान का दर्शन

- **वे मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित किया और बदले में इसे पोषित किया, भारत के लोकतंत्र की नींव रखी।**
- **ये मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित हैं।**
- **वे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों का मार्गदर्शन करते हैं।**
- **संविधान की शुरुआत अपने बुनियादी मूल्यों के संक्षिप्त विवरण से होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं।**
- **अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करने का फैसला किया है।**

प्रस्तावना

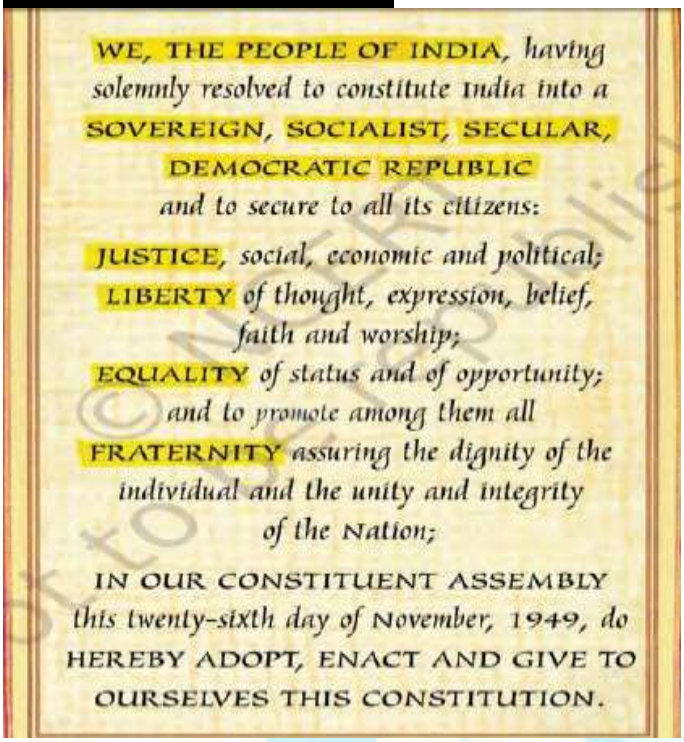
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

हम, भारत के लोग

संविधान लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिनियमित किया गया है, न कि किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा उन्हें सौंपा गया है।

संप्रभु

- लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है।
- कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है।

समाजवादी

- धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए।

पंथ निरपेक्ष

- नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
- लेकिन कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
- सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को समान सम्मान के साथ मानती है।

जनतांत्रिक

- सरकार का एक रूप जहां लोग समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं।
- सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है।

गणतंत्र

राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है न कि वंशानुगत पद।

न्याय

- नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा।
- सरकार को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, खासकर वंचित समूहों के लिए।

स्वतंत्रता

नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं; वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहते हैं और जिस तरह से वे अपने विचारों को क्रिया में पालन करना चाहते हैं।

समानता

- कानून के सामने सब बराबर हैं।
- पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा।
- सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।

बंधुता

- हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं।